The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009

Act 5 of 2010

Keyword(s):
Dues to Madhya Pradesh State Electricity Board, Policy, Electricity, Electricity Board

Amendments appended: 15 of 2010, , 17 of 2011, 3 of 2012, 6 of 2013, 33 of 2013, 12 of 2014, 11 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६
(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (एन) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ओ) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, छह मास से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१
(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा ३५ में, खण्ड (आर) में पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एस) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, छह मास से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों.".

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. 517-37-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 5 of 2010.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2009.

[Received the assent of the Governor on the 13th January, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd January, 2010].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 17, in sub-section (1), in clause (n), for full stop, the semicolon shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely :—

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

"(o) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, standing against his name for a period exceeding six months.".

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 of 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 35, in clause (r), for full stop, the semicolon shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely :—

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

"(s) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, standing against his name for a period exceeding six months.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 OF 2010

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 15th April, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th April, 2010.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. **Short title.**

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) In Section 5,—

(i) after clause (10), the following new clauses shall be inserted, namely:—

"(10-a) "colonizer" means Development Authority constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), any society or co-operative society registered by the Registrar, Firms and Societies or the Registrar, Co-operative Societies or any other registered institution which includes any such person or institution who intends to take up the work of establishment of the colony by developing that area for the purpose of dividing any land, including agricultural land, into plots or group housing and intends to transfer such plots to persons desirous of constructing residential or non-residential or joint residence for inhabitation and who is registered as colonizer by the competent authority under the Act;

(10-b) "colony" means an area so divided from an existing plot, with the provisions of basic services such as road, water, electricity, disposal of sewerage etc. for residents and includes the construction under group housing and joint housing;";

(ii) after clause (22), the following clause shall be inserted, namely:—

"(22-a) "economically weaker section" means the group of persons so specified by the State Government from time to time;";

(iii) after clause (33), the following clause shall be inserted, namely:—

"(33-a) "lower income group" means the group of persons so specified by the State Government from time to time;";

(iv) after clause (57), the following clause shall be inserted, namely:—

"(57-a) "user charges" means the charges imposed under section 132-A;".

(2) In Section 132,—

(i) in sub-section (1), clause (b) shall be deleted;

(ii) sub-section (4) shall be deleted;

(iii) in sub-section (6), clause (b) shall be deleted;

(iv) in sub-section (10), for the words, brackets, letters and figure "clauses (b), (c) and (d) of sub-section (1) and clause (b) of sub-section (6)", the words, brackets, letters and figure "clauses (c) and (d) of sub-section (1)" shall be substituted.

(3) After Section 132, the following section shall be inserted, namely:—

Imposition of user charges.

"132-A (1) Notwithstanding anything contained in Section 132, the Corporation shall,

subject to any general or special order which the State Government may make in this behalf, impose the user charges for the following services, namely:—

(a) a water charge for provision of water supply in respect of lands and buildings to which a water supply is furnished by Corporation;

(b) a drainage or sewerage charge where a system of drainage or sewerage disposal has been introduced;

(c) a charge for management of solid waste where the Corporation has introduced a system of disposal of waste;

(d) charges for any other specified services rendered by the Corporation.

(2) The user charges in clauses (a), (b) , (c) and (d) of sub-section (1) shall be imposed—

(i) on buildings and lands which are exempted from property tax, at a rate as shall be determined by the Corporation;

(ii) on buildings and lands which are not exempted from property tax, as determined in clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) plus such percentage of the property tax, as shall be determined by the Corporation:

Provided that the user charge for water under caluse (a) of sub-section (1) shall not be levied on building and land owned by freedom fighter during their life time, if they are exempted from Income Tax and the water connection is for domestic purpose and which does not exceed half inch connection.

(3) Notwithstanding anything contained in this chapter, the Corporation may impose upon properties specified in clause (a) of Section 136, all or any of the charges specified in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) at a rate, in excess of the rate at which such charge is imposed, on other properties under the respective clauses, as the State Government may, by notification, specify.

(4) In Section 292-A,—

(i) in sub-section (1), in clause (a) for the word "colony", the words "colony or colonies" shall be substituted;

(ii) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely :—

"(4) Every person who has been issued the Registration Certificate under sub-section (2) shall become eligible to establish one or more colonies in the area of Municipal Corporation and shall not be required to apply for Registration Certificate in respect of every colony separately but it shall be mandatory for such person to obtain approval of layout plans and all other approvals separately from the competent authority in respect of each colony.".

(5) In Section 292-B,—

(i) in sub-section (1), clause (iii) shall be deleted;

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1-a) In addition to reserving the developed plots or residential houses under sub-section (1), the colonizer shall also reserve at least ten percent fully developed plots of the prescribed size or in alternate offer constructed residential houses in his residential colony for the persons belonging to lower income group.";

(iii) in sub-section (2), after the word "the economically weaker sections", the words " and the lower income group" shall be inserted.

(6) In Section 292-C,-

(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) Whoever commits or abets the commission of an offence of illegal diversion or illegal colonization shall be punished with an imprisonment of not less than three years and not more than seven years and with a minimum fine of ten thousand rupees, and the Court may in passing the judgment in respect of any such offence order the accused to pay to the corporation, such amount of compensation as specified in the judgment, taking into consideration the amount required to be incurred towards the development of such illegal colony, and such offence shall be a cognizable offence.";

(ii) for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(5) Whoever commits an offence of illegal construction shall be punished with imprisonment of not less than three years and not more than seven years and with a minimum fine of ten thousand rupees, and such offence shall be a cognizable offence.

(6) It shall be incumbent upon every colonizer to display correct information about the area (including the carpet area) of the housing units proposed for construction and facilities to be provided in a colony in all its advertisements published In the form of pamphlets, brochures, hoardings and in all communications to customers and shall explicitly mention the number and date of his Registration Certificate over it, and any violation of these provisions shall make such colonizer liable for punishment under sub-section (3) and sub-section (5).".

(7) After Section 292-D, the following section shall be inserted, namely:—

Responsibility of persons associated in the act of illegal colonization or illegal diversion of land.

"292-DA. All the directors, promoters and financers associated in the act of illegal colonization or illegal diversion of land along with the person who commits or abets the commission of an offence of such illegal colonization of illegal diversion shall be held equally liable of committing such an offence and shall be punished under the provisions of section 292-C." .

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In Section 3,—

(i) after clause (5-a), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(5-b) "colonizer" means Development Authority constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), any society or co-operative society registered by the Registrar, Firms

and Societies or the Registrar, Co-operative Societies or any other registered institution which includes any such person or institution who intends to take up the work of establishment of the colony by developing that area for the purpose of dividing any land, including agricultural land, into plots or group housing and intends to transfer such plots to persons desirous of constructing residential or non-residential or joint residence for inhabitation and who is registered as colonizer by the competent authority under the Act;

(5-c) "colony" means an area so divided from an existing plot, with the provisions of basic services such as road, water, electricity, disposal of sewerage etc. for residents and includes the construction under group housing and joint housing;";

(ii) after clause (10-a), the following clause shall be inserted, namely:—

"(10-b) "economically weaker section" means the group of persons so specified by the State Government from time to time;";

(iii) after clause (16), the following clause shall be inserted, namely:—

"(16-a) "lower income group" means the group of persons so specified by the State Government from time to time;";

(iv) after clause (37), the following clause shall be inserted, namely:—

"(37-a) "user charges" means the charges imposed under Section 127-B;".

(2) In Section 127,—

(i) in sub-section (1), clause (b) shall be deleted;

(ii) sub-section (4) shall be deleted;

(iii) in sub-section (6), clause (b) shall be deleted;

(iv) in sub-section (10), for the words, brackets, letters and figures "clause (b), (c) and (d) of sub-section (1) and clause (b) of sub-section (6)", the words, brackets, letters and figure "clauses (c) and (d) of sub-section (1)" shall be substituted.

(3) After Section 127-A, the following section shall be inserted, namely:—

Imposition of user charges.

"127-B. (1) Notwithstanding anything contain in Section 132, the Council shall, subject to any general or special order which the State Government may make in this behalf, impose the user charges for the following services, namely:—

(a) a water charge for provision of water supply in respect of lands and buildings to which a water supply is furnished by Council;

(b) a drainage or sewerage charge where a system of drainage or sewerage disposal has been introduced;

(c) a charge for management of solid waste where the Council has introduced a system of disposal of waste;

(d) a charge for any other specified services rendered by the Council as may be specified.

(2) The user charge in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) shall be imposed—

(i) on buildings and lands which are exempted from property tax, at a rate as shall be determined by the Council;

(ii) on buildings and lands which are not exempted from property tax, as determined in clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) plus such percentage of the property tax, as shall be determined by the Council:

Provided that the user charge for water under clause (a) of sub-section (1) shall not be levied on building and land owned by freedom fighter during their life time, if they are exempted from Income Tax and the water connection is for domestic purpose and which does not exceed half inch connection.

(3) Notwithstanding anything contained in this chapter, the Council may impose upon properties specified in clause (a) of sub-section (2) of Section 127-A, all or any of the charges specified in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]　　भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मई 2011—वैशाख 12, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 2720-169-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अप्रैल 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २९ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३० में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(५) निगम के वार्षिक लेखे पर, अंकेक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत की जाएंगी.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. सम्पूर्ण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, शब्द ''नगर पंचायत'' जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द ''नगर परिषद्'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 2721-169-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 of 2011.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 29th April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 2nd May, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

PART - I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956. 2. In Section 130 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), after sub-section (4) the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) Copies of the audit report of the auditor on annual accounts of the Corporation shall be furnished to the State Government or such other authority as may be specified by the State Government in this behalf.".

PART - II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 of 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961. 3. Throughout the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), for the words "Nagar Panchayat" wherever they occur, the words "Nagar Parishad" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2012—पौष 14, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्र. 46-06-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २८ दिसम्बर, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ०४ जनवरी, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा.

"१२९. (१) मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) की धारा ४ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक निगम के वार्षिक लेखे उक्त अधिनियम के अधीन संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे तथा निगम ऐसे संपरीक्षा शुल्क के भुगतान का दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन, निगम के लेखाओं की संपरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा नहीं की जाती है तो निगम को राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए बाहरी अभिकरण से अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का विकल्प होगा.".

(२) धारा १३०-क एवं १३०-ख को क्रमशः धारा १३०-ख एवं १३०-ग के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १३०-ख के पूर्व निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण.

"१३०-क (१) धारा १२९ के अधीन, निगम के लेखे, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक निगमों की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे.

(२) निगमों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएगा.".

(३) धारा २९२-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"२९२-ख. (१) कालोनियों के विकास की अनुज्ञा आयुक्त द्वारा दी जाएगी और आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी. **कालोनियों का विकास.**

(२) (क) इस अधिनियम और इस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कालोनी का विकास करते समय कोई कालोनाइजर, जिसे धारा २९२-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकसित भू-खण्ड या निर्मित आवास गृह उपलब्ध कराएगा.

(ख) ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का आकार, संख्या तथा अवस्थिति ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का मूल्य, तथा उन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया जिन्हें कि वे कालोनाइजर द्वारा बेचे जा सकेंगे, ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(४) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ३३) लागू था, कालोनाइजर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विहित क्षेत्र में, विहित आकार के विकसित भू-खण्डों को आरक्षित रखना होगा.

(५) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भू-खण्डों या आवास गृहों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार, ऐसे मामलों में, जिनमें कि वह समुचित समझे, आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए.

(६) आश्रय शुल्क ऐसी रीति में संग्रहीत किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा जो कि विहित की जाए.".

(४) धारा ३०८-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"३०८-ग. (१) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा २९३ से २९९ और धारा ३०० से ३०८-क के अधीन भवन नियंत्रण के संबंध में आयुक्त की शक्तियां, किसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा विकास केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों के संबंध में, यथास्थिति, जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबन्ध संचालक या औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति में, निहित होंगी. कलक्टर और संबंधित निगम के आयुक्त, प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि ऐसी समिति का सदस्य होगा. **औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केन्द्रों के संबंध में भवन नियंत्रण की शक्ति.**

(२) उपधारा (१) के अधीन समिति में निहित शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (१) के अधीन भवन अनुज्ञा और उसके विनियमन के संबंध में उद्गृहीत समस्त शुल्क तथा प्रभार नगरपालिक निधि में जमा किए जाएंगे.".

भाग दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा १२१ की उपधारा (१) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, १९३३ (क्रमांक ९ सन् १९३३) की धारा ३", के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) की धारा ४" स्थापित किए जाएं.

(२) धारा १२२-क तथा १२२-ख को धारा १२२-ख तथा धारा १२२-ग के रूप में क्रमशः पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १२२-ख के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण.

"१२२-क (१) धारा १२१ के अधीन परिषदों के लेखे संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक परिषदों की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे.

(२) परिषदों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो कि उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएगा.".

(३) धारा १८७-ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केन्द्रों के संबंध में भवन नियंत्रण की शक्ति.

"१८७-घ. (१) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १८७, १८७-क, १८८, १८९, १९० और १९१ के अधीन भवन नियंत्रण के संबंध में परिषद् की शक्तियां, किसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा विकास केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों के संबंध में, यथास्थिति, जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबंध संचालक या औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति में निहित होंगी. कलक्टर का एक प्रतिनिधि और संबंधित नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी समिति का सदस्य होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन समिति में निहित शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (१) के अधीन भवन अनुज्ञा और उसके विनियमन के संबंध में उद्गृहीत समस्त शुल्क तथा प्रभार नगरपालिक निधि में जमा किए जाएंगे.".

(४) धारा ३३९-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कालोनियों का विकास.

"३३९-ख. (१) कालोनियों के विकास की अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी.

(२) (क) इस अधिनियम और इस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन कालोनी का विकास करते समय कोई कालोनाइजर, जिसे धारा ३३९-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकसित भू-खण्ड या निर्मित आवास गृह उपलब्ध कराएगा.

(ख) ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का आकार, संख्या तथा अवस्थिति ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का मूल्य, तथा उन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया जिन्हें कि वे कालोनाइजर द्वारा बेचे जा सकेंगे, ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(४) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ३३) लागू था, कालोनाइजर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विहित क्षेत्र में, विहित आकार के विकसित भू-खण्डों को आरक्षित रखना होगा.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भू-खण्डों या आवास गृहों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार, ऐसे मामलों में, जिनमें कि वह समुचित समझे, आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए.

(६) आश्रय शुल्क ऐसी रीति में संग्रहीत किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा जो कि विहित की जाए.''.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्र. 47-06-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 03 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 3 of 2012.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 28th December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 04th January, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

PART - I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) For Section 129, the following Section shall be substituted, namely:—

Audit of Municipal Accounts.

"129. (1) Notwithstanding anything contained in Section 4 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the annual accounts of every Corporation shall be subject to audit by the Director, Local Fund Audit under the said Act and the Corporation shall be liable to pay such audit fee as the State Government may, from time to time, specify in this behalf.

(2) If the accounts of Corporation are not audited under sub-section (1) by the Director, Local Fund Audit, the Corporation, shall have the option, subject to sanction of the State Government, to get its accounts audited by an outside agency.".

(2) Sections 130-A and 130-B shall be renumbered as Sections 130-B and 130-C respectively and before Section 130-B as so renumbered, the following Section shall be inserted, namely:—

Technical guidance and supervision of audit by the Comptroller and the Auditor General.

"130-A. (1) The accounts of the Corporation shall be audited by the Director, Local Fund Audit under section 129 and the Comptroller and Auditor General of India shall give technical guidance and supervision over the audit of Corporations.

(2) The annual audit reports of Director, Local Fund Audit on Corporations along with the annual technical inspection report of the Comptroller and Auditor General of India shall be submitted to the Governor, who shall cause the said reports to be laid on the table of the Legislative Assembly.".

(3) For Section 292-B, the following Section shall be substituted, namely:—

Development of colonies.

"292-B. (1) The permission of the development of colonies shall be given by the Commissioner and appeal shall lie to the State Government against the order of the Commissioner.

(2) (a) While developing the colony under the provisions of this Act and the rules made in this behalf a colonizer, who has been issued the registration certificate under section 292-A, shall provide fully developed plots or constructed residential houses for the persons belonging to economically weaker section and low income group.

(b) The size, number and location of such plots or houses shall be such as may be prescribed by the State Government.

(3) The cost of such plots or houses mentioned in sub-section (2) and the process of selection of the persons to whom they may be sold by the colonizer shall be such as may be prescribed by the State Government.

(4) In respect of the land on which the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) was applicable, the colonizer shall have to reserve developed plots of the prescribed size in the prescribed area for the persons belonging to economically weaker sections.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, in addition to or in lieu of the plots or houses mentioned in sub-section (2), the State Gvoernment may, in such cases as it may consider appropriate, impose a shelter fee to be determined in such manner as may be prescribed.

(6) The shelter fee shall be collected and utilised in such manner as may be prescribed.".

(4) After Section 308-B, the following Section shall be inserted, namely:—

Powers of building control in respect of industrial areas and growth centres.

" 308-C. (1) Notwithstanding anything contained in the Act, the powers of Commissioner in respect of building control under sections 293 to 299 and Sections 300 to 308-A shall vest in the committee headed by the General Manager of the District Trade and Industry Centre or the Managing Director of the Audhyogik Kendra Vikas Nigam or the Managing Director of the Industrial Infrastructure Development Corporation, as the case may be, in respect of buildings falling under an industrial area or a growth centre. A representative each of the Collector and the Commissioner of concerned Corporation shall be the members of such committee.

(2) The powers vested in the committee under sub-section (1) shall be exercised in such manner as may be prescribed.

(3) All the fees and charges levied in respect of building permission and regulation thereof under sub-section (1) shall be deposited into the Municipal Fund.".

PART-II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961
(No. 37 of 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In sub-section (1) of Section 121, for the words, figures and bracket "Section 3 of the Madhya Pradesh Local Fund Audit Act, 1933 (IX of 1933)", the words, figures and bracket "Section 4 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikisha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973)" shall be substituted.

(2) Section 122-A and 122-B shall be renumbered as Section 122-B and 122-C respectively and before Section 122-B as so renumbered, the following Section shall be inserted, namely:—

Technical guidance and supervision of audit by the Comptroller and the Auditor General.

"122-A. (1) The accounts of the Councils shall be audited by the Director, Local Fund Audit under Section 121 and the Comptroller and Auditor General of India shall give technical guidance and supervision over the audit of Councils.

(2) The annual audit reports of Director, Local Fund Audit on Councils along with the annual technical inspection report of the Comptroller and Auditor General of India shall be submitted to the Governor, who shall cause the said reports to be laid on the table of the Legislative Assembly.".

(3) After Section 187-C, the following Section shall be inserted, namely:—

Powers of building control in respect of industrial areas and growth centres.

"187-D. (1) Notwithstanding anything contained in the Act, the powers of Council in respect of building control under Sections 187, 187-A, 188, 189, 190 and 191 shall vest in the committee headed by the General Manager of the District Trade and Industry Centre or the Managing Director of the Audyogik Kendra Vikas Nigam or the Managing Director of the Industrial Infrastructure Development Corporation, as the case may be, in respect of buildings falling under an industrial area or a growth centre. A representative of the Collector, and the Chief Municipal Officer of the concerned Municipality shall be the members of such committee.

(2) The powers vested in the committee under sub-section (1) shall be exercised in such manner as may be prescribed.

(3) All the fees and charges levied in respect of building permission and regulation thereof under sub-section (1) shall be deposited into the Municipal Fund.".

(4) For Section 339-B, the following Section shall be substituted, namely:—

Development of colonies.

"339-B. (1) The permission of the development of colonies shall be given by the Competent Authority and appeal shall lie to the State Government against the order of the Competent Authority.

(2) (a) While developing the colony under the provisions of this Act and the rules made in this behalf, a colonizer who has been issued the registration certificate under Section 339-A, shall provide fully developed plots or constructed residential houses for the persons belonging to economically weaker Section and low income group.

(b) The size, number and location of such plots or houses shall be such as may be prescribed by the State Government.

(3) The cost of such plots or houses mentioned in sub-section (2) and the process of selection of the persons to whom they may be sold by the colonizer shall be such as may be prescribed by the State Government.

(4) In respect of the land on which the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) was applicable, the colonizer shall have to reserve developed plots of the prescribed size in the prescribed area for the persons belonging to economically weaker sections.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, in addition to or in lieu of the plots or houses mentioned in sub-section (2), the State Government may, in such cases as it may consider appropriate, impose a shelter fee to be determined in such manner as may be prescribed.

(6) The shelter fee shall be collected and utilised in such manner as may be prescribed.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 157-13-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३२ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ढ) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाए.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन. ३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १२७ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ढ) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 158-13-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No.6 of 2013.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012. **Short title.**

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

2. In Section 132 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), in sub-section (6), in clause (n), the words "goods or" shall be omitted. **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.**

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 of 1961)

3. In Section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), in sub-section (6), in clause (n), the words "goods or" shall be omitted. **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 6130-256-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३३ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१३.

[दिनांक ७ सितम्बर, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १३ सितम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा २९२-ङ में, उपधारा (१), (२), (३) और (४) को क्रमशः उपधारा (२), (३), (४) और (५) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, नगरपालिक क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, आयुक्त को, ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसी कि विहित की जाए.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३३९-ङ में, उपधारा (१), (२), (३) तथा (४) को क्रमशः उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, नगरपालिका क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसी कि विहित की जाए.''.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 6131-256-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 33 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 33 OF 2013

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

[Received the assent of the Governor on the 7th September, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th September, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

PART I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In Section 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act,1956 (No. 23 of 1956), sub-sections (1), (2), (3) and (4) shall be renumbered as sub-sections (2), (3), (4) and (5) respectively and before sub-section (2) as so renumbered the following new sub-section shall be inserted, namely :-

"(1) The Registrars and Sub-Registrars appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) shall, at the end of every month, communicate details of all transfers or agreements to transfer of plots or houses in the municipal area, to the Commissioner in such manner as may be prescribed.".

PART II
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

3. In Section 339-E of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), sub-sections (1), (2), (3) and (4) shall be renumbered as sub-sections (2), (3), (4) and (5) respectively and before sub-section (2) as so renumbered, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(1) The Registrar and Sub-Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) shall, at the end of every month, communicate details of all transfers or agreements to transfer of plots or houses in the municipal area, to the Competent Authority, in such manner as may be prescribed.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2014—श्रावण 15, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. 4505-204-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अगस्त 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१४

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक 5 अगस्त, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ६ अगस्त, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० में, उपधारा (१) के परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्र में, अधिकतम पचासी वार्ड हो सकेंगे''

निरसन और व्यावृत्ति ३. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन. ४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा ५५ में, उपधारा (१) में, शब्द ''एक मास'' के स्थान पर, शब्द ''पन्द्रह दिन'' स्थापित किए जाएं.

(२) धारा ८६ में, उपधारा (१), (२) और (४) के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(१) राज्य सरकार, परिषद् के लिए धारा ८७ या ८८ के अधीन अधिकारियों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से, राज्य के लिए निम्नलिखित नगरपालिक सेवाओं का विहित रीति में गठन कर सकेगी जो,—

(क) राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा;
(ख) राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा;
(ग) राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा;
(घ) राज्य नगरीय वित्त सेवा;
(ङ) राज्य नगरीय राजस्व सेवा;
कहलाएंगी.

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के लिए, भरती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान तथा भत्ते चाहे वे किसी नाम से जाने जाते हों, के संबंध में नियम बना सकेगी; और ऋण, पेंशन, अवकाश, उपदान, वार्षिकी, कारुण्य निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, सेवा से हटाने, आचरण, विभागीय दण्ड, अपीलें तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, शासकीय सेवकों को लागू होने वाले, समय-समय पर यथासंशोधित नियम, राज्य की नगरपालिक सेवाओं के सदस्य को लागू होंगे.

(४) राज्य सरकार, राज्य नगरपालिक सेवाओं के किसी भी सदस्य को एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में स्थानांतरित कर सकेगी.

(३) धारा ८७ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) परिषद् का मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.".

(४) धारा ८८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

राज्य की नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति.

"८८. प्रत्येक परिषद् में, धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन नगरपालिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार, उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए की जाएगी."

(५) धारा ८९ में, उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं अर्थात् :—

"(१) धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिका सेवा का गठन होने तक या जब ऐसी सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो तो, राज्य सरकार, ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगी या उसी श्रेणी के किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी सेवा का सदस्य होने के लिए अर्ह हो.

(२) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या यदि परिषद् के किसी विशेष सम्मिलन में, आधे से अधिक निर्वाचित पार्षद उस प्रभाव के संकल्प के पक्ष में मत दें, तो राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की सेवाएं, जो कि उपधारा (१) के अधीन परिषद् में प्रतिनियुक्त किया गया हो, वापस ले सकेगी.".

(६) धारा ९० में,—

(एक) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.";

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु इस प्रकार अभिनियोजित व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.".

(७) धारा ९१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अधिकारी या इंजीनियर के छुट्टी पर रहने की अवधि में व्यवस्था.

''९१. धारा ९० के उपबंध अन्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के छुट्टी पर रहने के दौरान व्यवस्था करने के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मामले में लागू होते हैं.''.

(८) धारा ९४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कर्मचारीवृंद की नियुक्ति.

''९४. (१) प्रत्येक परिषद्, धारा ९५ के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति के अतिरिक्त, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार उसके कर्तव्यों के सुचारू रूप से पालन के लिए आवश्यक तथा उचित हों.

(२) परिषद् ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार इस संबंध में अनुमोदित करे, अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी.

(३) राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक और लेखापाल की नियुक्ति राज्य सरकार की पुष्टि के अध्यधीन होगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे किसी भी पद का या अन्य किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पद का जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए, सृजन नहीं किया जाएगा या उसे समाप्त नहीं किया जाएगा और उनकी उपलब्धियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा ऐसे पद पर की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति और उससे पदच्युति इसी प्रकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी.

(४) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को एक मास से अधिक कालावधि का निलंबन आदेश नहीं दिया जाएगा और ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(५) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों के अतिरिक्त अन्य नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल में निहित होगी.

(६) राज्य सरकार, उपधारा (१) और (२) में वर्णित परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को, उसी श्रेणी की किसी अन्य परिषद् में स्थानान्तरित कर सकेगी.

(७) राज्य सरकार उन अधिकारियों तथा सेवकों के वर्ग या श्रेणियां विहित कर सकेगी जिन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-काउन्सिल, विहित प्राधिकारी या इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जिसमें निन्दा के अतिरिक्त अन्य कोई विभागीय दण्ड दिया गया हो.

(८) उपधारा (७) के अधीन की गई अपील की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को उस दण्ड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, रद्द करने या कम करने की शक्ति होगी.

(९) प्रेसीडेंट-इन-काउन्सिल, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा और ऐसे विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति की रीति तथा निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं.".

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. 4506-204-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 12 OF 2014

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 5th August, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th August, 2014.]

An act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

PART I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in the proviso to sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that a municipal area having population of more than ten lakh, may have maximum eighty five wards.".

Repeal and saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 1 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961

4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In section 55, in sub-section (1), for the words "one month", the words "fifteen days" shall be substituted.

(2) In section 86, for sub-sections (1), (2) and (4), the following sub-sections shall respectively be substituted, namely:—

"(1) The State Government may, for the purpose of providing officers to the Council under section 87 or 88, constitute in the prescribed manner, the following Municipal Services of the State to be called,

(a) State Urban Administrative Service;
(b) State Urban Sanitation Service;
(c) State Urban Engineering Service;
(d) State Urban Finance Service;
(e) State Urban Revenue Service.

(2) The State Government may make rules for the members of the Municipal Services of the State under sub-section (1), in respect of recruitment, qualification, appointment, promotion, scale of pay and allowances by whatever name called; and the rules as amended from time to time applicable to the Government servants in respect of loans, pension, leave, gratuity, annuity, compassionate fund, provident fund, dismissal, removal, conduct, departmental punishment, appeals and other conditions of service shall be applicable to be members of the municipal services of the State.

(4) The State Government may transfer any member of the Municipal Services of the State from one Municipality to another Municipality.".

(3) In section 87, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) The Chief Municipal Officer of a Council shall be a member of the State Urban Administrative Service and shall be appointed by the State Government.".

(4) For section 88, the following section shall be substituted, namely:—

Appointment of members of Municipal Services of the State

"88. In every Council members of the Municipal Services of the State under sub-section (1) of section 86 shall be appointed for the efficient discharge of its duties, as per norms specified from time to time by the State Government.".

(5) In section 89, for sub-section (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) Pending the constitution of any Municipal Service of the State under sub-section (1) of section 86 or when no member of such service is available for appointment, the State Government may depute an officer of the Government or appoint any person of same class qualified to be a member of such service to act as such member.

(2) The State Government may, on its own motion or if at a special meeting of the Council more than one-half of the elected Councillors vote in favour of a resolution to that effect, withdraw the services of any officer of the State Government who has been deputed to the Council under sub-section (1).".

(6) In section 90,—

(i) in sub-section (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :

"Provided that the person so appointed should be in the pay scale of Chief Municipal Officer corresponding to that category of Municipal Council.";

(ii) in sub-section (3), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :

"Provided that the person so deployed should be in the pay scale of Chief Municipal Officer corresponding to that category of Municipal Council.".

(7) For Section 91, the following section shall be substituted, namely:—

Arrangement during leave of absence of Officer or Engineer.

"**91.** The provisions of section 90 shall apply for arrangement during leave of absence in case of member of other municipal services, as they apply in the case of a Chief Municipal Officer.".

(8) For Section 94, the following section shall be substituted, namely:—

Appointment of staff.

"**94.(1)** Every Council shall, subject to rules framed under Section 95 and in addition to the appointment of members of the Municipal Services of the State under sub-section (1) of section 86, appoint such other officers and servants as may be necessary and proper for the efficient discharge of its duties, as per the norms specified from time to time by the State Government.

(2) A Council may appoint a temporary Health Officer on such terms and conditions as the State Government may approve in this behalf.

(3) The appointment of Revenue Officer, Revenue Inspector, Office Superintendent and Accountant shall be subject to confirmation by the State Government and no such post or the post of any other officer or servant as may be specified by the State Government in this behalf shall be created or abolished and no alteration in the emoluments thereof shall be made without the prior approval of the State Government, and every appointment to and dismissal from such post, shall be subject to a like approval.

(4) No order of suspension for a period exceeding one month shall be passed against any officer mentioned in or specified under sub-section (3) and no resignation tendered by any such officer shall be accepted without prior approval of the State Government.

(5) Unless the State Government otherwise directs, the power of appointing Municipal Officers and servants other than those mentioned in or specified under sub-section (3), shall vest in the President-in-Council.

(6) The State Government may transfer any officer or servant of a Council mentioned in sub-section (1) and (2) to any other Council of same category.

(7) The State Government may prescribe the classes or grades of officer and servants who shall have the right to appeal from any decision of the Chief Municipal Officer, the President-in-Council, the prescribed authority or any other authority empowered in this behalf, inflicting any departmental punishment other than censure.

(8) The authority hearing an appeal made under sub-section (7) shall have power to set aside or reduce the punishment against which the appeal is preferred.

(9) The President-in-Council may, with prior permission of the State Government, appoint subject specialists and personnel on contract for specified period and the manner and terms and conditions of appointment of such specialists and personnel on contract shall be such as may be prescribed by the State Government.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 अप्रैल 2015—चैत्र 30, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्र. 2167-114-इक्कीस-अ.(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अप्रैल 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है. एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१५

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम , २०१५

[दिनांक 15 अप्रैल 2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 20 अप्रैल 2015 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा २९३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के उपबंधों का भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में लागू होना.

''२९३-क. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २४ के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में हैं, इस अधिनियम के अधीन भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.''.

(२) धारा २९४ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(५) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अधिसूचित प्रचलित नियमों के अंतर्गत विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने वास्तुविदों तथा संरचना इंजीनियरों को, जितने कि वह आवश्यक समझे, ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में निगम की ओर से भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए इस धारा के अधीन परीक्षण करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, पंजीकृत तथा प्राधिकृत कर सकेगा.''.

(३) धारा २९५ में, उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक ''धारा २९१'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''धारा २९१ या २९३-क'' स्थापित की जाएं.

(४) धारा ३०८-क में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परंतु प्रकरणों का प्रशमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण, जिसमें नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंधन के अधीन ली गई अवैध कालोनियों में अप्राधिकृत सन्निर्माण सम्मिलित हैं, के संबंध में, फीस उस दर से तथा उस शर्त पर प्रभारित की जाएगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,— **मध्यप्रदेश अधिनियम (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.**

(१) धारा १८७ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अधिसूचित किए गए प्रचलित नियमों के अंतर्गत विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने वास्तुविदों तथा संरचना इंजीनियरों को, जितने कि वह आवश्यक समझे, ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में परिषद् की ओर से भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए इस धारा के अधीन परीक्षण करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, पंजीकृत तथा प्राधिकृत कर सकेगी.".

(२) धारा १८७-क में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परंतु प्रकरणों का प्रशमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण, जिसमें नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंधन के अधीन ली गई अवैध कालोनियों में अप्राधिकृत सन्निर्माण सम्मिलित हैं, के संबंध में, फीस उस दर से तथा उस शर्त पर प्रभारित की जाएगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.".

(३) धारा १८७-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के उपबंधों का भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में लागू होना.

"१८७-घ. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २४ के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में हैं, इस अधिनियम के अधीन भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.".

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्र. 2168-114-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 OF 2015

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

[Received the assent of the Governor on the 15th April, 2015 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th April, 2015.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act NO. 23 of 1956.

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956)-(1) After section 293, the following section shall be inserted, namely :—

Provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) to apply in respect of control of development and use of land.

"293-A. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the rules made thereunder in respect of control of development and use of land shall *mutatis mutandis* apply for the purpose of control of development and use of land under this Act.".

(2) In section 294, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in this section, the Commissioner may register and authorize as many number of Architects and Structural Engineers as he may deem fit, possessing the requisite qualifictaion prescribed under the prevailing rules notified under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), to examine and grant approval under this section for erection or re-erection of the building on behalf of the Corporation in respect of such plots, in such manner and on such conditions as may be prescribed by the State Government.".

(3) In section 295, in sub-section (1), for the word and figures "section 291," the words and figures "section 291 or 293-A shall be substituted.

(4) In Section 308-A, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that in compounding the cases in respect of unauthorized construction, including the unauthorized constructions in the illegal colonies taken over under management by the competent authority for regularization, the fee shall be charged at such rate and on such conditions as may be prescribed by the State Government.".

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act NO. 37 of 1961.

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In Section 187, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3A) Notwithstanding anything contained in this section, the Council may register and authorize as many number of Architects and Structural Engineers as it may deem fit, possessing the requisite qualification prescribed under the prevailing rules notified under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), to examine and grant approval under this section for erection or re-erection of the building on behalf of the Council in respect of such plots, in such manner and on such conditions as may be prescribed by the State Government.".

(2) In Section 187-A, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that in compunding the cases in respect of unauthorized construction, including the unauthorized constructions in the illegal colonies taken over under management by the completent authority for regularisation, the fee shall be charged at such rate and on such conditions as many by prescribed by the State Government.".

(3) After Section 187-C, the following section shall be inserted, namely:-

Provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) to apply in respect of controal of development and use of land.

"187-D, Save as otherwise provided in this Act, the provisions of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the rules made thereunder in respect of control of development and use of land shall mutatis mutandis apply for the purpose of control of development and use of land under this Act.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.